



कार्यालय:-वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।

वन भवन-1, हजारीबाग, 825301 (झारखण्ड)

E-mail: dfo-hazaribagheast@gov.in; dfohazaribagheast@gmail.com

सेवा में,

पत्रांक : 2361

दिनांक : 30/8/22

प्रोजेक्ट डायरेक्टर
जुडको, रांची।

विषय :- कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 1941 दिनांक 23.07.2022 एवं आपका पत्रांक 2026 दिनांक 16.08.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना के निर्माण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 664 दिनांक 21.07.2022 द्वारा उक्त परियोजना में 3.561 हे० वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि की मांग की गई है, जो कि सम्प्रति अबतक अप्राप्त है।

उक्त संदर्भ में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि LWE प्रभावित जिलों में 5 हे० से कम वनभूमि अपयोजन के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि नही देने से संबंधित भारत सरकार द्वारा General approval देने के संबंध में amendments or correction made to the above side clause की मांग की गई है।

तत्कम में प्रतिवेदित करना है कि Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Diversion) FC No. 11-09/1998-FC (LWE) New Delhi Dated 15th February 2018 द्वारा दिए गए General approval 31st December, 2020 तक ही मान्य है। (छायाप्रति संलग्न)

पुनः Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC Diversion) File No. 11-09/1998-FC (PT) – Part (I) New Delhi Dated 10th May 2021 द्वारा Critical public infrastructure project by Govt. agencies in LWE Districts में उल्लेखित है कि "further clarified that the existing guidelines at Para 4.4 and 4.5 of Chapter-4 of the Handbook of FCA 1980, hereby withdrawn" (छायाप्रति संलग्न)

अतः विषयगत परियोजना हेतु मांगी गई गैर वनभूमि यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु-पद्योक्त

विश्वासभाजक

30/8/22
वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल।